

पुनश्च :-03:10 पी.एम.

डिक्रीधारी द्वारा श्री नामेन्द्र गजभिए अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णितऋणी क्रमांक 1 फिरोज खान उपस्थित।

निर्णितऋणी क्रमांक 2 अनुपस्थित।

डिक्रीधारी संस्था की ओर से श्री नामेन्द्र गजभिए अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र डिक्रीधारी संस्था के प्रबंधक पदमुद्रा हस्ताक्षरयुक्त पेश किया। अभिलेख पर लिया गया। आवेदन में लेख है कि निर्णितऋणी ने डिक्री धन की राशि अदा कर दी है। अब कोई राशि लेना शेष नहीं है, पूर्ण संतुष्टि में कार्यवाही समाप्त किए जाने की याचना की है।

अतः पूर्ण संतुष्टि हो जाना दर्शित होने से यह निष्पादन कार्यवाही समाप्त की जाती है।

परिणाम दर्ज कर क्रमांक से निरस्त कर अभिलेख, अभिलेखागार जमा किया जावे।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर